

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय (पंचायत शाखा), धनबाद।

जिला पंचायत शाखा

अल्पकालीन निविदा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 के लिए सन्निहित मतदाता सूची की वार्डवार एवं मतदान केन्द्रवार छाया प्रति कराया जाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रांची के द्वारा एक तरफ (single side) का छाया प्रति का दर 0.74 पैसा एवं दोनों तरफ (both side) की छाया प्रति का दर 1.20 पैसा निर्धारित किया गया है। एतद् द्वारा सभी इच्छुक व्यक्ति जो उक्त दर से कम पर छायाप्रति करना चाहते हों, से दिनांक - 14.9.15 के अपराहन 03.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला पंचायत शाखा में रखे ड्रॉप बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात होने आवश्यक है:-

- (1) आयकर एवं विक्रीकर स्वच्छता प्रमाण-पत्र
- (2) प्रतिभूति की राशि के रूप में उप निर्वाचन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से 10,000/-रु(दस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट आवश्यक होगा।
- (3) आवेदनकर्ता यदि पूर्व से यह कार्य किये हों तो अपने आवेदन के साथ मतदाता सूची की छाया प्रति करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (4) आवेदनकर्ता को अपने आवेदन के साथ अपने पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- (5) यदि मतदाता सूची की छाया प्रति अपठनीय होगा तो जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- (6) मतदाता सूची फोटोयुक्त मतदाता सूची है, जिसका नमूना जिला निर्वाचन शाखा कार्यालय में देखा जा सकेगा।
- (7) निविदा दिनांक - 14.9.15 को 04.00 बजे अपराहन में निविदादाता के समक्ष जिला क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
-सह-
उपायुक्त, धनबाद।